

29/11/25

पत्तावली पेश हुई वकील वादी अनुपस्थित है। वादीगण स्वयं भी अनुपस्थित है। इनकी ओर से कोई वकील भी उपस्थित नहीं है। बार-बार आवाजें लगवाई गईं। परन्तु न्यायालय सम्मप तक कोई भी उपस्थित नहीं हुए। अतः शनिस्त वाद पर अक्षम हापरी अक्षम पैश्वी में खारीज किया जाता है। पत्तावली कैसल शुमार ही। नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर ही।

S.D.O. BHILAI
उपखण्ड अधिकारी
मिनाथ (अजमेर)